

प्रश्न सं. [क. 3052]

वि.सं. 52733652 नं.सं.क.परिशिष्ट-


मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-5(1-ख)/2019/29-1

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 2020

प्रति,

कलेक्टर,
जिला अनुपपुर,
मध्यप्रदेश.



विषय- खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान उपाजर्जन की अवधि बढ़ाने बाबत।
संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक 33 दिनांक 20.01.2020

उपरोक्त विषयसंबंधित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान उपाजर्जन की अवधि बढ़ाने हेतु अनुमति चाही गई है।

अनुपपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 10636 किसानों में से 7305 (69%) किसानों से 35668 मेटन धान का उपाजर्जन किया जा चुका है, जो कि विगत वर्ष से 8850 मेटन अधिक है। इसमें आज की उपाजर्जन मात्रा शामिल नहीं है। विभाग के पत्र क्रमांक एफ 5-5(1-ख)/2019/29-1 दिनांक 20.01.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिन किसानों को दिनांक 20.01.2020 तक वैध आनलाईन कृषक ताल परी जा रही है, उनसे दिनांक 22.01.2020 की सांय 05:00 बजे तक खरीदी की जा सकेगी।

आपका जिला सीमावर्ती होने के कारण अन्य राज्यों से उपाजर्जन केन्द्रों पर धान आने की संभावना रहती है। अतः सतत नियंत्रण बनाये रखें, यह भी सुनिश्चित कराये कि किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियाँ जैसे उपज के भौतिक रूप से देखे बिना फर्जी कृषक ताल परी जारी करने की स्थिति उत्पन्न न हो।

आपके संज्ञान में है कि उपाजर्जन संस्था द्वारा वृद्धिपूर्ण खरीदी करने पर संस्थाएँ अभाव हो जाती है तथा आगामी रबी उपाजर्जन में खरीदी में कठिनाई भी होती है। उपाजर्जन का अंतिम दिवस होने से बचौतियों तथा इसी प्रकार के अन्य तत्व सक्रिय न हो एवं वास्तविक कृषकों से ही धान का उपाजर्जन हो, इस हेतु नोडल अधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहते हुए उपाजर्जन की जानकारी भी लेते रहे।

अतः जिन किसानों को वैध आनलाईन कृषक ताल परी जारी की गई है, उनसे FAQ गुणवत्ता की धान का उपाजर्जन किया जाए।



(मोस्ता आगरे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

पृ. क्रमांक एफ 5-5(1-ख)/2019/29-1

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 2020

प्रतिलिपि-

संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय

141
30.01.2020

कमिश्नर
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग